बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

19, महर्षि दयानन्द मार्ग,
प्रयागराज

संशोधित आदेश अनुशासन समिति परिवाद संख्या 455/2024

सुओ मोटो

बनाम

श्री अंकित सिंह, एडवोकेट, लखनऊ ..... **प्रतिवादी**

श्री प्रखर मिश्र, एडवोकेट, लखनऊ ..... **प्रतिवादी**

श्री शशांक सिंह, एडवोकेट, लखनऊ ..... **प्रतिवादी**

आदेश

अनुशासन समिति द्वारा उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांकित 05.01.2025 को इस संशोधन के साथ पुनः निर्गत किया जाता है कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 02 श्री प्रखर मिश्र, एडवोकट, पंजीकरण संख्या 6846/16, पुत्र श्री सुशील कुमार मिश्र, निवासी 48/134, रूदही बी0के0टी0 जिला लखनऊ द्वारा कार्यालय को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रार्थी द्वारा कोई अभद्र टिप्पणी माननीय अध्यक्ष या सदस्य के प्रति नहीं की गयी है तथा जो मोबाइल नं0 9455379777 प्रश्नगत टिप्पणी से सम्बन्धित है, वह मुझ प्रार्थी प्रखर मिश्र का नहीं है और न ही वह ऐसे किसी वाट्सएप्प ग्रुप का सदस्य है। प्रखर मिश्र नाम के कई अन्य अधिवक्ता भी पंजीकृत हैं। अतः विपक्षी संख्या 02 ने अपने को उक्त आदेश से पृथक किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों से अवगत होते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांकित 05.01.2025 में से श्री प्रखर मिश्र, एडवोकट, पंजीकरण संख्या 6846/16, पुत्र श्री सुशील कुमार मिश्र, निवासी 48/134, रूदही बी0के0टी0 जिला लखनऊ का नाम पृथक किया जाता है। शेष आदेश दिनांकित 05.01.2025 पूर्ववत प्रभावी रहेगा। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली का भलीभांति अवलोकन कर सम्बन्धित अधिवक्ता प्रखर मिश्र को आदेश की प्रति प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10.03.2025 को श्री प्रखर मिश्र, एडवोकट, पंजीकरण संख्या 6846/16, पुत्र श्री सुशील कुमार मिश्र, निवासी 48/134, रूदही बी0के0टी0 जिला लखनऊ भी अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बातों को व्यक्तिगत रूप से रखना सुनिश्चित करें।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति सीनियर रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ व माननीय जिला जज, लखनऊ के जरिये सूचना प्रेषित करावें।

दिनांक : 22.01.2025

ह0अ0
(सदस्य)
अनुशासन समिति

ह0अ0
(अध्यक्ष)
अनुशासन समिति

ह0अ0
(को–आप्टेड सदस्य)
अनुशासन समिति

Section Officer
DISCIPLINARY COMMITTEE
BAR COUNCIL OF U.P., PRAYAGRAJ

TRUE COPY

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

19, महर्षि दयानन्द मार्ग,
प्रयागराज

अनुशासन समिति परिवाद संख्या 455/2024

सुओ मोटो

बनाम

श्री अंकित सिंह, एडवोकेट, लखनऊ ..... प्रतिवादी

श्री प्रखर मिश्र, एडवोकेट, लखनऊ ..... प्रतिवादी

श्री शशांक सिंह, एडवोकेट, लखनऊ ..... प्रतिवादी

आदेश

कार्यालय द्वारा उक्त पत्रावली समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई। राज्य विधिज्ञ परिषद की आम सभा की बैठक दिनांकित 22.11.2024 में पारित प्रस्ताव संख्यास 2430/24 में विपक्षी अधिवक्ता–गण के विरूद्ध धारा 35 के अर्न्तगत संज्ञान लिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

समिति द्वारा विपक्षी अधिवक्ता–गणों को नोटिस प्रेषित की गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी अधिवक्ता–गणों का सूचना रजिस्टर्ड ए0डी0 के द्वारा प्रेषित की गयी और जरिये फोन भी सूचित किया गया। विपक्षी अधिवक्ता अंकित सिंह के रजिस्टर्ड डाक नोटिस लेफ्ट की टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुई। आज विपक्षी अधिवक्ता या उनके प्रतिनिधि कोई भी उपस्थित नहीं आये। समिति द्वारा पत्रावली का परिशीलन करते हुए संलग्न प्रपत्र का परिशील किया गया।

समिति द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध भारतीय विधिज्ञ परिषद के राजपत्र दिनांकित 26.06.2021 का अवलोकन किया जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद की अधिसूचना दिनांकित 25.06.2021 जो कि गजट होकर 26.06.2021 को प्रकाशित हुई जिसमें अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1)(ए) और (एबी) के तहत :–

अधिवक्ता अधिनियम 1961 की पारा 49 (1)(सी) के तहत एक अधिवक्ता अपने दैनिक जीवन में स्वयम् को एक सज्जन पुरुष / सज्जन महिला के रूप में आचरण करेगा और वह कोई भी गैरकानूनी कार्य नहीं करेगा वह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कोई ऐसा बयान नहीं देगा जो कि किसी भी न्यायालय या न्यायाधीश या व्यायपालिका के किसी सदस्य के विरुद्ध हो या राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के विरुद्ध अभद्र या अपमानजनक दुर्भावनापूर्ण या शरारत पूर्ण भावना से ऐसे आचरण को

कदाचार माना जायेगा और कोई वकील भारतीय विधिज्ञ परिषद् के किसी आदेश या किसी भी संकल्प का किसी भी तरह से जानबूझकर उल्लंघन, अवहेलना या अवहेलना में संलग्न नहीं हो सकेगा। यदि संलग्न हुआ तो उसे कदाचार माना जायेगा। उपरोक्त कार्य/आचरण को कदाचार माना जाएगा और इस प्रकार का आचरण / उल्लंघन यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 या 36 के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनायेगा।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 (1)(ए) और (एबी) के तहत नये नियम -

1. किसी भी राज्य विधिन्न परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के किसी भी सदस्य को या किसी भी अधिवक्ता को संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के किसी भी संकल्प या आदश के खिलाफ या विधिज्ञ परिषद् या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों के खिलाफ कोई जानबुझकर अपमानजनक शब्द या अपमानजनक भाषा/टिप्पणी / अपमानजनक शब्द बनाकर उपयोग करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कुछ भी प्रकाशित करने या कोई बयान या प्रेस विज्ञप्ति करने की अनुमति नहीं है।

2. किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निर्णय को सार्वजनिक अनुक्षेत्र में विधिज्ञ परिषद् के किसी सदस्य द्वारा आलोचना या अनावश्यक आक्रमण / टीका टिप्पणी नहीं किया जाएगा।

3. कोई भी अधिवक्ता या किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् का कोई सदस्य राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के गरिमा को ठेस नहीं पहुंचायेगा।

4. इस आवरसंहिता के उपर्युक्त खंड (1) से (III) का उल्लंघन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत "अन्य कदाचार" के रूप में माना जाएगा, और / या धारा-V और / या धारा-VA का उल्लंघन का परिणाम विधिज्ञ परिषद् से ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त कराने या निलंबित होने के लिए उत्तरदायी बना सकेगा।

सोशल मीडिया एकाउण्ट का मोबाइल नं0 7897116666 जो कि अंकित सिंह के नाम से है, में लिखित किया गया है कि *"जब बार काउंसिल के सदस्य दल्ले हो गये हैं, गवर्नमेंट के पीछे-पीछे चलते हैं, ऐसे वकीलों को पीटा जायेगा आगे और भी।"*

इस पर विपक्षी अधिवक्ता प्रखर मिश्र ने टिप्पणी की है कि *"अगर आप वादा करें कि इसी तरके उन्हें टाइट करेंगे तो मैं आपको अभी ऐसे ग्रुप में एड करता हूँ जिसमें 09 मेम्बर्स हैं।"*

उक्त अभद्र टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि विपक्षी अधिवक्ता गण अपनी मर्यादा खो चुके हैं, जैसा कि गजट के पृष्ट संख्या 02 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि एक अधिवक्ता अपने दैनिक जीवन में एक सज्जन पुरूष के रूप में आचरण करेगा ओर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया से भी अपमानजनक टिप्पणी करने की अनुमति उसे नहीं होगी। राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी अधिवक्ता अनुज्ञप्ति देने से पूर्व अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा पत्र लिखित की जाती है कि वह कदाचरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगा और ऐसी ही घोषणा आवेदन पत्र का प्रारूप हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी अधिवक्ता–गणों ने राज्य विधिज्ञ परिषद के माननीय सदस्य–गणों के विरूद्ध सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की है जो कि धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अर्न्तगत कदाचार है।

आज सुनवाई की तिथि में विपक्षी अधिवक्ता या उनके प्रतिनिधि अपना पक्ष रखने के लिये उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षी अधिवक्ता–गणों के विरूद्ध वाद सुनवाई हेतु दिनांक **10 मार्च, 2025** को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में नियत किया जाता है और उक्त तिथि तक विपक्षी अधिवक्ता–गण को अधिवक्ता वृत्ति करने पर रोक लगायी जाती है अर्थात् इनका पंजीकरण जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है वह अग्रिम आदेश तक निलम्बित रहेगा।

विपक्षी अधिवक्ता गण को इस आशय से अन्तिम अवसर दिया जाता है कि उक्त को वे अपना पक्ष रखें अन्यथा समिति द्वारा अपना अन्तिम निर्णय पारित कर दिया जायेगा।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति सीनियर रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ व माननीय जिला जज, लखनऊ को इस आशय के साथ जरिये सचिव सूचना प्रेषित करावें कि अग्रिम आदेश तक उपरोक्त तीनों अधिवक्ताओं का पंजीकरण निलम्बित रहेगा।

दिनांक : 05.01.2025

ह0अ0
(सदस्य)
अनुशासन समिति

ह0अ0
(अध्यक्ष)
अनुशासन समिति

ह0अ0
(को–आप्टेड सदस्य)
अनुशासन समिति

TRUE COPY

Section Officer
DISCIPLINARY COMMITTEE
BAR COUNCIL OF U.P., PRAYAGRAJ